UPSI180001932025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।
प्रकीर्ण दीवानी वाद संख्या–11/2025

प्रहलाद आदि **बनाम** **राममिलन आदि।**

दिनांकः–03.02.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 4 क 1 अन्तर्गत धारा–80(2)दीवानी प्रक्रिया संहिता व 3 क 1 अंतर्गत धारा–91 ए सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र 4 क 1 के निस्तारण पर बल दिया गया।

प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र 4 क 1 अन्तर्गत धारा–80(2)दीवानी प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि, "गाटा संख्या–1122 क्षेत्रफल 0.266 हे० व गाटा संख्या–1123 क्षेत्रफल 0.303 हे० स्थित ग्राम रामपुर, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर श्रेणी 5–1–कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। विपक्षी संख्या–1 ता 6 वादीय भूमि पर जबरन कब्जा कर उस पर निर्माण कर लेना चाहते हैं। किन्तु विपक्षी संख्या–7 ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत रामपुर परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर व विपक्षी संख्या–8 सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर को पक्ष बनाने से पूर्व उन्हें प्रतिवादी संख्या–7 को अंतर्गत धारा–106 उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट व प्रतिवादी संख्या–8 को अंतर्गत धारा–80 सी०पी०सी० के तहत दिनांक–30.01.2025 को प्रेषित की जा चुकी है। नोटिस मियाद पूर्ण होने में अभी पूर्ण समय बाकी है और यदि नोटिस मियाद की प्रार्थीगण ने प्रतीक्षा किया, तो विपक्षी संख्या–1 ता 6 तब तक जबरन वादभूमि पर कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य कर लेंगे। ऐसी दशा में प्रार्थीगण द्वारा बिना नोटिस मियाद प्रतीक्षा के ही अर्जेंट वाद याजित करना आवश्यक है।" अतः याचना की गयी है कि प्रार्थीगण को धारा–80(2)दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्राविधान से लाभ देते हुए दावा मियाद से पूर्व सुना जाए।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन से यह विदित होता है कि यदि प्रार्थीगण को धारा–80(2)दीवानी प्रक्रिया संहिता की नोटिस दिये जाने से छूट न दी गयी तो उन्हें अपूर्णनीय क्षति होगी तथा मुकदमे का उद्देश्य विफल हो सकता है। उक्त वाद अर्जेंसी प्रकृति का है।

प्रकरण प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज हो।

अतः प्रार्थीगण को धारा–80(2)दीवानी प्रक्रिया संहिता की नोटिस की छूट प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण को वाद दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–91 ए सी०पी०सी० लंच पश्चात् पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code–UP3555

लंच पश्चात् वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 3 क 1 अंतर्गत धारा–91(1) सिविल प्रक्रिया संहिता पुनः पेश हुई। उक्त प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को लंच पूर्व सुना जा चुका है।

प्रार्थी/वादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–91(1) सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि "गाटा संख्या–1122 क्षेत्रफल 0.266 हे० व गाटा संख्या–1123 क्षेत्रफल 0.303 हे० स्थित ग्राम रामपुर, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर श्रेणी 5–1–कृषि योग्य भूमि नई परती (परती

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2025.02.03 17:32:00 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (JD)/J.M. Mahmudabad
Sitapur.

जदीद) के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। वादीय भूमि लोक महत्व की भूमि है, जो वर्तमान समय में रिक्त पड़ी है। वादीय भूमि रामपुर मथुरा से थानगाँव रोड से संलग्न है, इसलिए वादभूमि आवासीय व व्यवसायिक उभय दृष्टि से काफी उपयोगी व महत्वपूर्ण है। प्रतिवादी संख्या–1 ने वादभूमि पर नींव खुदवाने का प्रयास किया जिसकी शिकायत वादीगण/प्रार्थीगण ने प्रशासनिक अधिकारियों से किया जिससे विपक्षी संख्या–1 ता 6 नींव खोद नहीं सके। उसके बाद दिनांक–30.01.2025 को पुनः विपक्षी संख्या–1 ता 6 ने वादभूमि पर नींव खुदवाने हेतु डागबेल लगायी, जिसका प्रबल विरोध प्रार्थीगण ने गाँव के भले लोगों के सहयोग से किया, जिस कारण विपक्षी संख्या–1 ता 6 अपने कृत्य में सफल नहीं हुए, किन्तु उन्होंने प्रार्थीगण को धमकी दिया कि वादभूमि सरकारी है, जिस पर वे अपना मकान व दुकान बनवा लेंगे। विपक्षी संख्या–1 ता 6 मौके पर निर्माण सामग्री एकत्र करना भी प्रारंभ कर दिया है। विपक्षी संख्या–1 ता 6 वादभूमि को हड़प लेना चाहते हैं, जबकि उनका वादभूमि से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। यदि प्रार्थीगण को वाद योजित करने की अनुमति प्रदान न की गयी तो प्रार्थीगण को असीमित हानि होगी एवं विपक्षी संख्या–1 ता 6 लोक उपयोग एवं लोक महत्व की भूमि पर जबरन कब्जा व निर्माण करने में सफल हो जाएंगे।" अतः प्रार्थीगण द्वारा गाटा संख्या–1122 क्षेत्रफल 0.266 हे० व गाटा संख्या–1123 क्षेत्रफल 0.303 हे० स्थित ग्राम रामपुर, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में वाद स्थायी निषेधाज्ञा योजित करने की अनुमति दिये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 91 सी०पी०सी० लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य–

(1). लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पडता है या प्रभाव पड़ना संभव है, घोषणा और व्यादेश के लिए या ऐसे अन्य अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो वाद–

(क) महाधिवक्ता द्वारा, या

(ख) दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, ऐसे लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान न होने पर भी न्यायालय की इजाजत से, संस्थित किया जा सकेगा।

(2). इस धारा की कोई भी बात वाद के किसी ऐसे अधिकार को परिशीमित करने वाली या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी, जिसका अस्तित्व इसके उपबंधों से स्वतंत्र है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र में कथन है कि भूमि गाटा संख्या–1122 क्षेत्रफल 0.266 हे० व गाटा संख्या–1123 क्षेत्रफल 0.303 हे० स्थित ग्राम रामपुर, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर कृषि योग्य भूमि नई परती है, जो लोक महत्व की है तथा जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत प्रकरण सार्वजनिक सम्पत्ति के लोक महत्व एवं लोक प्रभाव से सम्बन्धित होने के कारण वाद की सुनवाई हेतु अनुमति दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। चूँकि उक्त वाद लोक न्यूसेंस/लोक पर प्रभाव डालने वाले कृत्य से संबंधित है तथा धारा–91 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया है, इसलिये प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 3 क 1 अंतर्गत धारा–91(1) सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। पत्रावली लोक न्यूसेंस/लोक प्रभाव के सम्बन्ध में वाद को सुने जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार उक्त प्रकीर्ण वाद की पत्रावली निस्तारित की जाती है। पत्रावली लोक न्यूसेंस/लोक प्रभाव के सम्बन्ध में वाद की सुनवाई हेतु दिनांक–05.02.2025 को पेश हो।

दिनांकः03.02.2025

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code–UP3555